FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/07/2025 15:18 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 26/07/2012 Date To (दिनांक तक): 14/07/2015

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/07/2025 Time (समय): 14:40 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 24/07/2025 14:49 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सोनीपत,

Scanned with OKEN Scanner

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP PARMILA

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/07/1976 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SV ,ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SV ,ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9485600335

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

Scanned with OKEN Scanner

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री मनोज कुमार तत्कालीन केयर टेकर			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	श्री विश्वानन्द तत्कालीन एल1वरिष्ठ लेखाकार			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय शाखा सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
3	श्री पूर्ण सिहं तत्कालीन शाखा प्रबन्धक			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय शाखा सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
4	श्री सतीश तत्कालीन चेयरमैन			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
5	जितेन्द्र लठवाल तत्कालीन निदेशक			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
6	श्री रामकुमार तत्कालीन निदेशक			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
7	श्री विजय कुमार तत्कालीन महाप्रबन्धक			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,मुख्यालय सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
8	सतेन्द्र राठी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक			1. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक,शाखा सब्जी मंडी सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
9	नरेन्द्र		Father's Name: श्री रामरत्तन	1. 14,गांव दुबेटा मोई माजरी,तहसील गन्नौर जिला सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Scanned with OKEN Scanner

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक।
श्रीमान जी,

कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पचंकूला के पृष्ठांक क्रमांक 1847/I-5/SVB(II) दिनांक 07.02.2020 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 211 दिनांक 11.02.2020 अनुसार श्री रामकुमार दहिया व श्री रघबीर सिहं की शिकायत के आधार पर जांच कमांक 01 दिनांक 06.02.2020 सोनीपत पंजीकृत की गई। इसके अलावा इसी सम्बन्ध में एक अन्य शिकायत कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पचंकूला में पृष्ठांक कमांक 16477/I-5/SVB (II) दिनांक 30.12.2020 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो. रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी कमांक 03 दिनांक 06.01.2021 अनुसार श्री नवीन गर्ग, सी.ए. की शिकायत पर पंजीकृत होकर जांच पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जो जांच पड़ताल में बैंक से प्राप्त रिकार्ड व सम्बन्धित के कथनों के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि (1) दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत द्वारा पहले ही विप्रो कम्पनी से सभी सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर उपलब्ध करवाऐ जाने का करार हो जाने के बावजूद श्री विश्वानन्द, तत्कालीन एल-1/वरिष्ठ लेखाकार, दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत, श्री मनोज कुमार तत्कालीन केयर टेकर, दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत, श्री पूर्ण सिहं, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय शाखा सोनीपत, श्री ओमप्रकाश ईशरवाल तत्कालीन सी.ई.ओ., दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत, श्री सतीस तत्कालीन चेयरमैन, दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत (प्राईवेट व्यक्ति), जितेन्द्र लढवाल व श्री कृष्ण कुमार तत्कालीन निदेशक दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत (प्राईवेट व्यक्ति) ने एक षडयन्त्र के तहत प्लानिंग करके अपने-2 पदों का दुरूपयोग करते हुए अपने आर्थिक लाभ के लिए सोची समझी साजिश के तहत बैंक द्वारा पहले ही विप्रो कम्पनी से सभी सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर उपलब्ध करवाऐ जाने का करार होने, करार के मुताबिक सभी सुविधाएं मुहैया करवाने व करार के मुताबिक निर्धारित भुगतान (मुबलिक 10951/-रू० प्रति माह प्रति ब्रांच) समय-2 पर होने के बावजूद उक्त कार्य को नोटिंग पर लेकर बोर्ड में गलत तरीके से अपने जानकार की एजेन्सी को मंजूरी देकर तथा फर्जी पत्ते के आधार पर वर्षा कम्पयूटर एजेन्सी का खाता खोलकर उक्त एजेन्सी को मुबलिक 14,14,890/-रू0 का गलत भुगतान करके बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाई जानी पाई गई। औमप्रकाश ईशरवाल तत्कालीन सी.ई.ओ. दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत व श्री कृष्ण कुमार तत्कालीन निदेशक का स्वर्गवास होना पाया गया है। (2) दिनांक 26.07.2012 की बिजनेस कमेटी के चेयरमैन सतीश, निदेशक श्री जितेन्द्र लठवाल, श्रीकृष्ण कुमार व श्रीराम कुमार ने तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री औमप्रकाश ईशरवाल दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत से मिलीभगत करके सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी करके अपने जानकार को सिर्फ और सिर्फ एक कोटेशन के आधार पर ही कार्य आंवटित किया जाना मालूम होता है। जबकि स्पेशल परिस्थितियों को छोडकर Haryana PWD Code 2009 के Part 13.18.1 (g) (h) अनुसार एक कुटेशन के आधार पर टैण्डर नहीं दिया जा सकता। दिनांक 14.07.2015 की बिजनेस कमेटी की बैठक में श्री सतीश प्रधान व श्री जितेन्द्र लठवाल के हस्ताक्षर ही है। तत्कालीन चेयरमैन श्री

Scanned with OKEN Scanner

सतीश, तत्कालीन निदेशक जितेन्द्र लठवाल, श्री कृष्ण कुमार व श्री रामकुमार तथा तत्कालीन सी.ई.ओ. ओमप्रकाश ईशरवाल ने एक षडयन्त्र के तहत प्लानिंग करके अपने-2 पदों का दुरूपयोग करते हुए अपने आर्थिक लाभ के लिए सोची समझी साजिश के तहत विनटैक पावर बैकअप एजेन्सी को सिर्फ और सिर्फ एक कुटेशन के आधार पर, बोर्ड में गलत तरीके से अपने जानकार की एजेन्सी को अत्याधिक रेटो पर मंजूरी देकर, बिना कोई नगोसिऐशन किए व एजेन्सी द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी राशि जमा ना करवाऐ जाने के बावजूद कार्य अलॉट करके बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने का कार्य किया जाना पाया गया। तत्कालीन सी.ई.ओ. ओमप्रकाश ईशरवाल व तत्कालीन निदेशक श्री कृष्ण कुमार का स्वर्गवास होना पाया गया। (3) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशकों/सी.ई.ओ./महाप्रबन्धकों व तत्कालीन बोर्ड के चेयरमैन व निदेशकों द्वारा समय-2 पर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को दी केन्द्रिय सहकारी बैंक के मॉडल बाईलॉज एवं हरियाणा सरकार के निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए Out Sourcing Policy के तहत पुनः अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने, समय-2 पर सम्बन्धित अनुबन्धित कर्मचारियों को पी.एफ, डी.ए. व एल.टी.सी. दिया जाना पाया गया। जबकि उक्त अनुबन्धित कर्मचारियों को बैंक में स्टाफ की कमी के कारण अनुबन्ध आधार पर नियमों की अवहेलना करके नियुक्ति जरूर दी जानी पाई गई लेकिन अनुबन्धित सेलरी की एवज में अनुबन्धित कर्मचारियों द्वारा बैंक में अपनी सेवाएं दी जानी भी पाई गई हैं। जिससे उनको दी गई सेलरी को गलत ठहराना भी उचित नहीं है। अपितु सेलरी के अलावा अन्य भत्तों के रूप में दिए गए अन्य लाभ (डी.ए., एल.टी.सी. व पी.एफ.) को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बैंक द्वारा किसी भी अनुबन्धित सेवानिवृत कर्मचारी को पेयमेन्ट के अलावा अतिरिक्त भुगतान की अभी तक कोई रिकवरी नहीं की जानी पाई गई। इस प्रकार सेलरी के अलावा अनुबन्धित सेवानिवृत कर्मचारियों को अन्य भत्तों के रूप में दिए गए अन्य लाभ जोकि एक गणना का विषय है। अतः अनुबन्धित सेवानिवृत कर्मचारी से अन्य लाभ/भत्तों की रिकवरी की जानी उचित होगी। सेवानिवृत अनुबन्धित्त कर्मचारियों को सेलरी के अलावा दिए गए अन्य लाभ/भत्ते देने के लिए उस समय के अधिकारियों व बोर्ड के चेयरमैन एवं निदेशकों को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित होगा और इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी उचित होगी। फिर भी उक्त विषय पर सम्बन्धित केन्द्रिय सहकारी बैंक व हरियाणा सरकार द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिए जाने की अनुशंसा की गई। (4) श्री विजय कुमार तत्कालीन महाप्रबन्धक, दि सोनीपत कॉपरेटिव बैंक, मुख्यालय सोनीपत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहकारी बैंक सोनीपत के नियम एवं निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने जानकारों आशीष व कनिता को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उददेश्य से आशिष व कनिता उपरोक्त से सांठ-गांठ करके गलत तरीके से व्यक्तिगत ऋणों की मंजूरी देनी पाई गई। (5) दी सोनीपत केन्द्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा सब्जी मण्डी सोनीपत के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सतेन्द्र राठी द्वारा 17 लोन फाईलों की मंजूरी शाखा लेवल पर ही करके फाईलों को खुर्द-बुर्द करने, 10 ऋण फाईलों की अदायगी अपने व अपनी माता जी के ज्वाइंट खाते में करके, उक्त लोन फाईलों के कुल कुल Outstanding 54,71,491/-रू0 की बैंक को हानि पहुंचाना पाया गया। इसलिए तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सतेन्द्र राठी के खिलाफ धोखाधडी करके अपने आर्थिक लाभ के लिए 10 ऋण फाईलों की राशि को हडप करने, गलत तरीके से लोन सैंक्शन करने व लोन फाईलो को खुर्द-बुर्द करना पाया गया। मनोज कुमार तत्कालीन ईन्चार्ज NFF/कनिष्ठ लेखाकार/केयर टेकर ने नरेन्द्र कुमार ऋणी उपरोक्त से मिली भगत करके सोची समझी साजिश के तहत गलत तरीके व धोखाधडी के इरादे से बजाना कलां में अप्लाई किए परसनल लोन के दस्तावेजों की छायाप्रतियों के माध्यम से अपनी आई. डी. के साथ-2 दूसरे कर्मचारियों की आई.डी. का भी उपयोग करते हुए जानबुझकर मुख्यालय शाखा में खाता खोलने व उसमें ऋण के पैसे की निकासी करवाना पाया गया। नरेन्द्र पुत्र श्री रामरतन वासी म.न. 14 दुबेटा मोई माजरी तहसील गन्नौर जिला सोनीपत द्वारा तत्कालीन ईन्चार्ज NFF/कनिष्ठ लेखाकार/केयर टेकर से धोखाधडी की नियत से मिली भगत करके कागजों में हेराफेरी करके बजाना कलां में अप्लाई किए पर्सनल लोन की अदायगी मुख्यालय शाखा सोनीपत से भी की जानी पाई गई। जिस पर श्री मनोज कुमार तत्कालीन केयर टेकर, श्री विश्वानन्द तत्कालीन एल-1/वरिष्ठ लेखाकार, श्री पूर्ण सिहं, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक मुख्यालय शाखा, तत्कालीन चेयरमैन श्री सतीश, तत्कालीन निदेशक जितेन्द्र लठवाल व श्री रामकुमार के खिलाफ 406, 409, 420, 468, 471, 120-बी भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून), तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री विजय कुमार के खिलाफ 420, 468, 471,120-बी भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून), तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सतेन्द्र राठी के खिलाफ 406, 409, 420, 468, 471, 201 भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून) तथा नरेन्द्र पुत्र श्री रामरतन वासी म.न. 14 दुबेटा मोई माजरी तहसील गन्नौर जिला सोनीपत (प्राईवेट व्यक्ति) के खिलाफ 420, 120-बी भा.द.स. (उस समय के प्रचलित कानून) के तहत अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धित आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की संस्तुति करके रिपोर्ट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक के पत्र क्रमांक 352 दिनांक 27.01.2025 अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला को भेजी गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृ0क्रमांक 11718/आई-5/ए.सी.बी(ह०) दिनांक 23.06.2025 व पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 2179 दिनांक 25.06.2025 अनुसार श्री मनोज कुमार तत्कालीन केयर टेकर, श्री विश्वानन्द तत्कालीन एल-1/वरिष्ठ लेखाकार, श्री पूर्ण सिंह, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक मुख्यालय शाखा, तत्कालीन चेयरमैन श्री सतीश, तत्कालीन निदेशक जितेन्द्र लठवाल व श्री रामकुमार के खिलाफ 406, 409, 420, 468, 471, 120-बी भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून), तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री विजय कुमार के खिलाफ 420, 468, 471, 120-बी भा.द.स एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून), तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सतेन्द्र राठी के खिलाफ 406, 409, 420, 468, 471, 201 भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (उस समय के प्रचलित कानून) तथा नरेन्द्र पुत्र श्री रामरत्तन वासी म.नं. 14 दुबेटा मोई माजरी तहसील गन्नौर जिला सोनीपत के खिलाफ 420, 120-बी भा.द.स. (उस समय के प्रचलित कानून) के तहत अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अभियोग पंजीकृत करके अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। हस्ता अंग्रेजी Parmila insp
(प्रमिला), निरीक्षक,
राज्य सतर्कता एवं
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक।

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 21 दिनांक 24.07.25 धारा 201,406, 409, 420, 468, 471, 120-बी भा.द.स. एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला व डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी सी0डी0सी0 महिला निरीक्षक उषा रानी न0 401/सोनीपत, राज्य चौकसी एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगतसिंह न0 560/RR की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Usha Rani **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 401SPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Bg Insp

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BHAGAT SINGH

Rank (पद): INSPECTOR

No. □स) 560/RR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

State Vigilance & Anti Corruption Bureau
Rohtak Range Rohtak

Scanned with OKEN Scanner